दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित:16 दिसंबर, 2013

निर्णयः 24 जनवरी, 2014

<u>आप.अ. 355/2003</u>

जगबीर उर्फ़ जग्गी .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री मीर अख्तर हुसैन, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित अपीलार्थी के साथ अधिवक्ता।

बनाम

राज्य व अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा श्री लवकेश साहनी, अति.लो.अभि.।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.पी. गर्ग

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.पी. गर्ग</u>

1. जगबीर सिंह उर्फ जग्गी (अपीलार्थी) ने सत्र मामला संख्या 17/2002 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के दिनांक 12.05.2003 के निर्णय की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाया है, जो पश्चिम विहार थाने में दर्ज प्राथमिकी सं. 609/1999 से उद्भूत हुआ था, जिसके अंतर्गत उसे भा.दं.सं. की धारा 392 और 186 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी सिद्ध

किया गया था। दिनांक 16.05.2003 को दंडादेश के आदेश द्वारा, उसे भा.दं.सं. की धारा 392 के अंतर्गत सात वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000/- रुपये के जुर्माने और भा.दं.सं. की धारा 186 के अंतर्गत दो महीने के सश्रम कारावास का दंडादेश अधिनिर्णीत किया गया था। दोनों दंडादेश एक साथ चलने थे।

2. अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप यह था कि दिनांक 03.07.1999 को दोपहर करीब 03.20 बजे पश्चिम विहार के भैरा एन्क्लेव में मकान नं. 373 के सामने उसने लूट की और परिवादी- विवेक जो 40,000/-रुपये स्कूटर की डिक्की में रख रहा था, से यह छीन लिए। परिवादी और आम लोगों ने अपीलार्थी का पीछा किया और कांस्टेबल राज कुमार और कांस्टेबल मुकेश की सहायता से उसे पार्क के अंदर से पकड़ लिया, जो घटनास्थल पर पहुंचे। इस प्रक्रिया में, अपीलार्थी ने कांस्टेबल राज कुमार के बाएं हाथ पर चाकू से वार करके उसे घायल कर दिया। अन्वेषण के दौरान, तथ्यों से परिचित साक्षियों के बयान अभिलिखित किए गए। अपीलार्थी और कांस्टेबल राज कुमार दोनों का चिकित्सीय परीक्षण किया गया। अन्वेषण पूर्ण होने के बाद, अपीलार्थी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 379/386/411/506/186/353/307 और 25/27 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए आरोप-पत्र दायर किया गया। अपीलार्थी पर दिनांक 23.03.2002 के आदेश द्वारा भा.दं.सं. की धारा

186/394 सहपठित धारा 397 के अंतर्गत आरोप लगाया गया और विचारण किया गया। अभियोजन पक्ष ने उसके अपराध को साबित करने के लिए सात साक्षियों का परीक्षण किया। 313 बयान में अपीलार्थी ने अपराध में सह-अपराधिता से इनकार किया और दावा किया कि जब उसे ज्वालाहेड़ी बाजार से उठाया गया, जहां वह अपनी पत्नी के साथ कुछ सामान खरीदने गया था और उसके साथ मारपीट की गई, उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया था। उसने प्रतिवाद में अपनी मां ब.सा.-1 (लज्जो) का परीक्षण किया। साक्ष्य का मूल्यांकन करने और पक्षकारगण के परस्पर विरोधी प्रतिविरोधों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी को पहले बताए गए अपराधों के लिए दोषी सिद्ध किया। व्यथित होने के कारण, अपीलार्थी ने अपील की है।

3. मैंने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख का परीक्षण किया है। उप-निरीक्षक दिलीप कौशिक ने विवेक का बयान (प्रद.अभि.सा.-1/क) अभिलिखित करने के बाद उस पर पृष्ठांकन (प्रद.अभि.सा.-6/ग) करके दिनांक 03.07.99 को शाम 05.50 बजे प्राथमिकी निविष्ट की। शिकायत में, परिवादी ने घटना का विस्तृत विवरण दिया और जगबीर उर्फ जग्गी का नाम उसके कब्जे से ₹40,000/- से भरा लिफाफा छीनने के लिए लिया, जब वह इसे स्कूटर की डिक्की में रख रहा था। उसने

आगे प्रकटन किया कि उसने शोर मचाया और अपीलार्थी का उसके और आम लोगों ने पीछा किया। जगबीर को पार्क के अंदर से गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से चोरी की गई नकदी बरामद की गई। अभियुक्त ने आम लोगों को चोट पहुंचाने का प्रयास किया था और कांस्टेबल राज कुमार के बाएं हाथ पर चाकू से घाव कर दिया था, जो कांस्टेबल मुकेश की सहायता से उसे पकड़ने में सक्षम थे। यद्यपि, अभि.सा.-1 के रूप में न्यायालय में दिए गए बयान में, परिवादी ने पुलिस को पहले बताए गए विवरण से सहमति नहीं जताई, हालांकि वह 40,000 रुपये की नकदी छीने जाने की कहानी पर कायम रहा, जब वह उसे स्कूटर की डिक्की में रख रहा था। उसने जगबीर उर्फ जग्गी को हमलावर के रूप में नहीं पहचाना, जिसने नकदी वाला लिफाफा छीना था और जिसके पास से चोरी की गई नकदी बरामद हुई थी। उसे विरोधी घोषित किया गया और न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की गई। प्रतिपरीक्षा में भी, अपीलार्थी की पहचान स्थापित करने के लिए कोई भी ऐसी ठोस बात सामने नहीं आई, जिससे यह पता चले कि उससे नकदी वाला लिफाफा छीना गया था। उसने इसके बजाय एक विरोधाभासी बयान दिया कि नकदी वाला लिफाफा छीने जाने के बाद, वह श्री एस.एल. बंगा के पास गया, जिससे उसने नकदी ली थी, ताकि उसे घटना के बारे में बता सके। इसके बाद उसने अपने

घर के सामने लोगों की भीड़ खड़ी देखी। पुलिस ने उसे बताया कि उन्होंने उस व्यक्ति से नकदी बरामद कर ली है, जो उनकी अभिरक्षा में था। यद्यपि, परिवादी हमलावर को नहीं पहचान पाया जो उस समय पुलिस की अभिरक्षा में था। उसने आगे विरोधाभासी बयान दिया कि जब वह 40,000/- से भरा लिफाफा डिक्की में रख रहा था, तो वह उस व्यक्ति को नहीं देख पाया, जिसने लिफाफा छीना था। परिवादी ने यह परिसाक्ष्य नहीं दिया कि हमलावर को पुलिस अधिकारियों ने उसकी मौजूदगी में पकड़ा था या नकदी से भरा लिफाफा उसके कब्जे से बरामद किया गया था। परिवादी को, जो पीड़ित था, पुलिस को दिए गए पहले बयान (प्रद. अभि.सा.-1/क) से अस्वीकार करने के लिए कोई अंतरस्थ हेतु नहीं बताया गया था। उसने प्रकटन किया कि उसका बयान पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और वहाँ विभिन्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर लिए गए थे। उसे यह भी नहीं पता था कि अपीलार्थी के कब्जे से कोई चाकू बरामद हुआ था या उसने उस चाकू से कांस्टेबल राज कुमार को घायल किया था।

4. यह आरोप लगाया गया है कि अभि.सा.-4 (कांस्टेबल मुकेश) और अभि.सा.-5 (कांस्टेबल राज कुमार) अपीलार्थी को पकड़ने और उससे चोरी की गई नकदी और चाकू बरामद करने में सक्षम थे। अभि.सा.-4 (कांस्टेबल मुकेश) और अभि.सा.-5 (कांस्टेबल राज कुमार) ने इस संबंध में अभियोजन

पक्ष का समर्थन किया है, यद्यपि, उसने कथित घटना के लिए पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। अभि.सा.-6 (उप.निरी. दिलीप कौशिक) अचानक घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने स्वयं ही अन्वेषण किया और परिवादी का बयान दर्ज करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की। अभि.सा. 4, 5 और 6 के बयान विरोधाभासों से भरे हुए हैं और उचित संदेह से परे अपीलार्थी के अपराध को स्थापित करने के लिए कोई अंतर्निहित निर्भरता व्यक्त नहीं की जा सकती। अपीलार्थी के शरीर पर कई चोटें आईं और उसे दिनांक 3/4-07-1999 की रात को 12.50 बजे डीडीयू अस्पताल ले जाया गया। कथित तौर पर सार्वजनिक व्यक्तियों द्वारा अपीलार्थी को चोटें पहुंचाई गईं, जब उन्होंने उसे पकड़ने के लिए पार्क के अंदर उसका सामना किया। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि अपीलार्थी को अत्यधिक विलंब के बाद 12.15 बजे चिकित्सा परीक्षण के लिए अस्पताल क्यों ले जाया गया। अन्वेषण के दौरान कोई स्वतंत्र सरकारी साक्षी शामिल नहीं किया गया। कथित तौर पर अपीलार्थी को पीटने वाले सार्वजनिक व्यक्तियों का नाम कभी सामने नहीं आया। ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसने अपीलार्थी को कई चोटें पहुंचाईं, जब उसने अपने पास मौजूद चाकू से ऐसे किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। कांस्टेबल राज कुमार, जो कथित तौर पर उसे पकड़ने के प्रयास में अपीलार्थी के हाथों चोटें खा गया था, को दिनांक 3/4-07-

1999 की रात को 01.35 बजे डीडीयू अस्पताल ले जाया गया। अभि.सा.-5 (कांस्टेबल राज कुमार) ने विरोधाभासी बयान दिया है कि अपीलार्थी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और रात 10 बजे उसकी चिकित्सीय परीक्षा की गई। जाहिर है कि कांस्टेबल राज कुमार की चिकित्सीय परीक्षा जगबीर उर्फ जग्गी की चिकित्सीय परीक्षा के बाद की गई थी।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा दावा की गई रीति से चोरी की गई वस्तुओं की बरामदगी संदिग्ध है। अभि.सा.-1 (विवेक-परिवादी) ने इस पहलू पर अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया और यह दावा नहीं किया कि अपीलार्थी से उसकी मौजूदगी में कोई चोरी की गई नकदी बरामद की गई थी। अभि.सा.-4 (कांस्टेबल मुकेश) और अभि.सा.-5 (कांस्टेबल राज कुमार) जिन्होंने कथित तौर पर अपीलार्थी को पकड़ा और 40,000/- नकद वाले लिफाफे वाले बैग को बरामद किया, वे अभिग्रहण किए गए ज्ञापन (प्रद. अभि.सा.-4/क) के साक्षी नहीं हैं। उनके हस्ताक्षरों का उल्लेख प्रद. अभि.सा.-6/क (चाकू का स्केच), प्रद. अभि.सा.-6/ख (चाकू का अभिग्रहण किया गया ज्ञापन), प्रद. अभि.सा.-6/घ (साइट प्लान) और प्रद. अभि.सा.-6/च (व्यक्तिगत तलाशी ज्ञापन) में भी नहीं है। अन्वेषक अधिकारी ने यह नहीं बताया कि महत्वपूर्ण साक्षियों (अभि.सा. 4 और 5) के हस्ताक्षर, जिन्होंने चाकू और नकदी से भरा बैग सौंपा था, संबंधित अभिग्रहण किए गए ज्ञापनों पर क्यों

नहीं लिए गए। मुख्य परीक्षा में अभि.सा.-5 (कॉन्स्टेबल राज कुमार) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसकी उपस्थिति में पॉलीथीन की जांच नहीं की गई और वह यह नहीं बता सका कि उसमें क्या था। बाद में उसे याद आया कि पॉलीथीन में करेंसी नोट थे लेकिन उसे यह नहीं पता था कि नकदी की मात्रा क्या है। अन्वेषण में खामियां स्पष्ट हैं। अन्वेषक अधिकारी ने अभि.सा.-1 (विवेक) के परिसाक्ष्य की पुष्टि करने के लिए श्री एस.एल. बंगा की परीक्षा नहीं की।

6. अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों ने अपीलार्थी को गलत तरीके से फंसाने के लिए विभिन्न अधिकारियों को तार(टेलिग्राम) भेजे और पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत का मामला दर्ज किया जिसमें कुछ पुलिस अधिकारियों को संबंधित महानगर दंडाधिकारी ने समन किया है। समन आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष लंबित है। चूंकि मामला सक्षम न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए इन कार्यवाहियों में उक्त कार्यवाही के गुणागुण के विषय में कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं की गई है। चूंकि यह विश्वास करने योग्य नहीं है कि पुलिस अधिकारी अपने कब्जे से 40,000/- रुपये की भारी नकदी बरामद करेंगे, फिर भी अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपना मामला स्थापित करने और यह प्रमाणित करने और स्थापित करने में असमर्थ रहा कि अपीलार्थी के कब्जे से

नकदी उसके द्वारा आरोपित तरीके से और दिन और समय पर बरामद की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष ने सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए हैं।

7. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता। अपील स्वीकार की जाती है। उसे अधिनिर्णीत दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है। जमानत बांड और प्रतिभूति बांड निरस्त माने जाते हैं। यद्यपि, यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्णय में की गई टिप्पणी का अपीलार्थी द्वारा संस्थित शिकायत मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय गुणागुण के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

8. विचारण न्यायालय अभिलेख को तुरंत वापस भेजा जाए।

(एस.पी. गर्ग)

न्यायाधीश

24 जनवरी, 2014
एसए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*